

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
गोपालगंज।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, मीरगंज।

पटना, दिनांक- 14/9/18

विषय:- ई-टेन्डरिंग पद्धति द्वारा 14 वीं वित्त मद/मुख्यमंत्री नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजनान्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2018-19 के ग्रुप सं0-03, 04 एवं 05 के निविदाओं के संबंध में।
प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, गोपालगंज का पत्रांक-203 दिनांक-18.08.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मुख्यमंत्री नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजनान्तर्गत पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2018-19 के ग्रुप सं0-03, 04 एवं 05 के कार्यों की तुलनात्मक विवरणी एवं उक्त ग्रुप में प्राप्त एकल निविदाकार के डाउनलोडेड निविदा कागजात, निविदा निष्पादन हेतु समर्पित किया गया है। समीक्षोपरान्त ग्रुपवार मान्य/अमान्य निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	मान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना का अनुपालन करने के कारण)	अमान्य निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना का अनुपालन नहीं करने के कारण।)
03.	14वीं वित्त मद अन्तर्गत वार्ड नं0-04 में कुतुबदीन खान के घर से नहर तक स्लैव के साथ नाला निर्माण।	(1) श्रीमति पिकी देवी उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।	NIL
04.	मुख्यमंत्री नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजनान्तर्गत वार्ड नं0-07 में गोपाल केशरी के मकान से विजय प्रसाद के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	(1) श्रीमति पिकी देवी उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।	
05.	मुख्यमंत्री नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजनान्तर्गत वार्ड नं0-08 में सोनेलाल चौरसिया के घर से अनिरुद्ध के घर तक स्लैव के साथ नाला निर्माण कार्य।	(1) श्रीमति पिकी देवी उद्धृत दर:- B.O.Q से 10% कम दर पर।	

उपरोक्त कार्यों का यह पुनर्निविदा अंकित किया गया है, परन्तु पूर्व किये गये निविदा का किसी प्रकार का साक्ष्य आपके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। पूर्व की निविदा में यदि निविदाकार मान्य है तो पूर्ण साक्ष्य के साथ निविदा कागजात इस कार्यालय को समर्पित करेंगे।

तदनुसार तीनों ग्रुपों में भाग लेने वाले एकल निविदाकार श्रीमति पिकी देवी की निविदा, निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका का अनुपालन करने के कारण मान्य है, परन्तु पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0-3162(S) दिनांक-09.05.2016 के आलोक में उक्त तीनों ग्रुपों में प्रथम बार एकल निविदाकार की निविदा मान्य रहने के कारण निविदा रद्द की जा सकती है। एवं उक्त तीनों ग्रुपों हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता,

बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग